

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदायत

सहायक कलक्टर
(एच. बी. डी.) जयपुर (नागौर)

स मुकदमा

लिखा

बनाम गोरखराज कोरडे

शजाद नाल

नं. 141 तन 2008

तारीख
हुबम

हुबम या कार्यवाही इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुबम की तारीख
में जारी हुए

8-08

वादीजी का काद दर्ज 2008-22 दिया जाये।
प्रतिवादी जज को जारी सामान बुकब लिखा
जाकर पत्रावली काहे उभरी दि. 27-8-08
को भेज है।

सहायक कलक्टर
(एच. बी. डी.) जयपुर (नागौर)

27-8-08

बलकार/पक्षकारान के आधवक्त

अक

पीठासीन अधिवक्ता की मिटिंग में/अमरप/
प्रवकाश पर चर्चा हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 16-10-08 को
बस्तु करे। अ

16

10 वकील नामी डप्ली प्रतिकर्षी लिं 1, 2
का ~~स्वच्छ~~ तरफ से वकील श्री M.P. न
बन्धालतनागा पेश कर जावाब का
आवाज चला गया। प्रतिवादी लिं 4, 5
6 का लकार लकील के आडुप्लिकेट
रहने पर लखनपु कॉर्पोरेशन की लिं
वकालत प्रतिकर्षी 3, 6, 7, 8, 9, 10 के
समाप्त पुनः लकील पेश के जावाब पेश
करने हेतु दिनांक 23.12.08
को पेश है।

बलकार/पक्षकारान के आधवक्त

दिनांक 16-2-09 को

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

22-2-18

Notarary
बलदास

वकील वाडी ने पत्रावली पर नोटप्रेस
कर निवेदन किया कि वाडीनी का
वाद सजे नहीं चलाना चाहते हैं
साथ में यह भी निवेदन किया
कि पत्रावली को आम पेशी पर
लिखा जाकर जरिये खिदमत वाड
को खारिज किया जावे। वकील
वाडीनी की प्रार्थना पर पत्रावली को
आम पेशी पर ली जाती है तथा
वकील वाडीनी के नोटप्रेस करने
पर जरिये खिदमत वाडीनी का
वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम होकर दफ्तार दाखिल
हो।